न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 78/2014

वादीगण :-
1. बंशीलाल पुत्र घेवरराम
2. प्रेमसुख पुत्र घेवरराम
जाति-विश्नोई, निवासी-राबड़ियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
2. राजुराम पुत्र घेवरराम
3. बाबुडी बेवा घेवरराम
जातियान-विश्नोई, निवासी-राबड़ियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.24.03.2014

उपस्थित:- 1. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्रसिंह बाहरठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

दिनॉक:- 29/06/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार क्षेत्र-राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 17-15 बीधा आई हुई हैं। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसकी जमाबन्दी की नकल वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना व समझा जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि हैं तथा उक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता घेवरराम के नाम दर्ज थी। जिनकी मृत्यु सन् 1989 में हुई। उस समय पटवारी हल्का-राबडियावास ने फौतेदारी म्यूटेशन भरते समय वादी बंशीलाल का नाम जमाबन्दी में मोटूराम लिख दिया गया एवं वादी प्रेमसुख का नाम छोटुराम लिख दिया गया, जो गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। उसके बाद वादीगण के भाई गणपत व रामनिवास मृत्यु होने पर उक्त खसरा नम्बर का विरासत का नामान्करण संख्या 1682 दिनांक 20/05/2011 को भरते समय पटवारी हल्का ने वादी बंशीलाल का नाम फिर मोटुराम एवं वादी प्रेमसुख का नाम फिर छोटुराम लिख दिया गया, जो गलत नाम वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण का सही व वास्तविक नाम बंशीलाल व प्रेमसुख हैं, जो उनके परिवार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, ड्राईविंग लाईसेन्स, मूल निवासी प्रमाण-पत्र अन्य पिछडी जाति प्रमाण-पत्र इत्यादी में दर्ज हैं। इन सभी दस्तावेजात की प्रति वाद-पत्र के साथ पेश किया है। जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना व समझा जावें। वादीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई तब दिनांक 05/03/2014 को पटवारी हल्का राबडियावास से जमाबन्दी प्रमाणित नकल प्राप्त की, तब वादीगण को जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी बंशीलाल का नाम मोटूराम एवं वादी प्रेमसुख का नाम छोटूराम दर्ज हैं। तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या एक को जमाबन्दी में वादीगण के सही व वास्तविक नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या एक ने न्यायालय में वाद करने का कहा। तब वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या दो व तीन उक्त भी के सहखातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। जबकि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनायवाद दिनांक 05/03/2014 को पटवारी हल्का-राबडियावास से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या एक को सही नाम दर्ज करने का निवेदन करने एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा न्यायालय में वाद करने का कहने पर बमुकाम-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई हैं। मजमा-ए-आज में वादी उपस्थित वादी ने शपथ-पत्र पेश किया, जो सामिल मिसल हैं। पटवारी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी ने जाहिर किया कि घेवरराम के पुत्र मोटूराम, छोटूराम नहीं हैं। वास्तविक नाम बंशीलाल व प्रेमसुख हैं। मौतबिरान ने जांच में अपने हस्ताक्षर किए। वादी अपने नाम शुद्ध कराने का अधिकारी हैं। लिहाजा वादी का नाम मोटूराम, छोटूराम के स्थान पर शुद्धि-पत्र जरिए वास्तविक नाम बंशीलाल व प्रेमसुख दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार क्षेत्र-राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 17-15 बीधा की कृषि भूमि में वादीगण बंशीलाल, प्रेमसुख पि0 घेवरराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। छोटू व मोटू का नाम हटाया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बंशीलाल पुत्र घेवरराम
2. प्रेमसुख पुत्र घेवरराम

जाति-विश्नोई,निवासी-राबड़ियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. राजुराम पुत्र घेवरराम
3. बाबुडी बेवा घेवरराम

जातियान-विश्नोई, निवासी-राबड़ियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0:रा0वा0 स0:78/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्रसिंह बाहरठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार क्षेत्र-राबडियावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रारा तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 17-15 बीधा की कृषि भूमि में वादीगण बंशीलाल, प्रेमसुख पि0 घेवरराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। छोटू व मोटू का नाम हटाया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	12 - 00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 - 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	16.00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner